(वाद सं0.-2132/4/26/2020)

28.06.2022

प्रसंगाधीन मामला अव्यहृत उपार्जित अवकाश के बदले तीन सौ (300) दिनो का नगद राशि के भुगतान से संबंधित, परिवादी, मो0 अजीज आलम, के परिवाद से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **निदेशक, लेखा–प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **निदेशक, लेखा–प्रशासन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना** के प्रतिवेदनानुसार " **मो0 अजीज आलम, सेवानिवृत लिपिक, डी0आर0डी0ए0, पटना , C/O स्व0 मो0 सईद आलम, पातो का बाग, तारणी प्रसाद, लेन, पटना सिटी, पटना –08 का प्राप्त परिवाद के आलोक मे वर्ष 2014 से वर्ष जनवरी, 2017 तक का बकाया महंगाई भत्ता का एरियर के रूप में मो0–20,088.00 (बीस हजार अठासी) रूपये मात्र का चेक संख्या–278225 दिनांक–26.04.2022 से आवेदक को भुगतान कर दिया गया है।"**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **निदेशक, लेखा–प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार, **निदेशक, लेखा–प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक